

प्रेस नोट थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर दिनांक 04.09.2025

हत्या का अपराध कारित करने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अदद अवैध पिस्टल, 03 जिन्दा कारतूस, 02 अदद खोखा कारतूस बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा हत्या के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक शाहपुर नीरज राय मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 422/2025 धारा 103(1) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त विश्वकर्मा चौहान को घटना में प्रयुक्त 01 अदद अवैध पिस्टल, 03 अदद जिन्दा कारतूस, 02 अदद खोखा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की बढ़ोतरी की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 03.09.2025 को अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा की माँ को गोली मारकर हत्या कर देने के संबंध में थाना स्थानीय पर प्राप्त तहरीर के आधार मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

विश्वकर्मा चौहान पुत्र नोखई चौहान निवासी हरसेवकपुर नं0 2 चौहान टोला थाना गुलरिहा जिला गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 422/2025 धारा 103(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार राय थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 उमेश कुमार शर्मा थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
3. उ0नि0 रविन्द्रनाथ चौबे थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
4. उ0नि0 सुदीप सिंह थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
5. कां0 अभिषेक सिंह थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
6. कां0 जय प्रकाश यादव थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
7. कां0 गौरव यादव थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
8. कां0 सोनू यादव थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
9. कां0 प्रवीण कुमार थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर